संख्या-114 **/2024/** 497**/001-41-1-2024-01-**यो0**-15-टी0सी0**

प्रेषक,

संजीव कुमार श्रीवास्तव,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग-1 **लखनऊ:: दिनांक 09 फरवरी, 2024**

विषय:- एस0आई0टी0 जांच से आच्छादित कार्यदायी संस्था-उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 द्वारा क्रियान्वित पर्यटन विकास सम्बन्धी परियोजनाओं के अवषेश कार्यों को पूर्ण कराये जाने हेतु पुनरीक्षित आगणन की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-4424/7-1-1(जि0यो0)/मू0पत्रा0/2023-24 दिनांक 22.09.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा एस0आई0टी0 जांच से आच्छादित पर्यटन विभाग की जिला योजना एवं राज्य योजना के अन्तर्गत परियोजनाओं की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए अवशेष धनराशि अवमुक्त करने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2. उल्लेखनीय है कि एस0आई0टी0 जांच से आच्छादित परियोजनाओं के सम्बन्ध में मा0 मंत्रि परिषद् द्वारा प्रदत्त अनुमोदन में उल्लिखित अवशेष कार्यो की लागत जिसमें अद्यतन मूल्य सूचकांक के आधार पर मूल्य वृद्धि, अद्यतन मानकों के अनुसार आवश्यक मदों की लागत एवं 6 प्रतिशत अतिरिक्त जी0एस0टी0 (कुल 18 प्रतिशत जी0एस0टी0) सहित मदों से सम्बन्धित आगणनों में उल्लिखित ग्राहक विभाग द्वारा वहन की जाने वाली धनराशि की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने सम्बन्धी कार्यवाही सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग द्वारा शीघ्र किये जाने तथा उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 द्वारा व्यय की जाने वाली धनराशि अपने स्रोत्रों से अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश दिनांक 25.09.2023 को मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में दिये गये हैं।

3. उपर्युक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रकरण में आपसे प्राप्त प्रस्तावानुसार जिला योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित योजनाओं के अवशेष कार्यो की मूल्य वृद्धि सहित लागत की प्रशासकीय स्वीकृति तथा राज्य योजनान्तर्गत निम्नलिखित परियोजनाओं के अवशेष कार्यो की मूल्य वृद्धि सहित लागत की प्रशासकीय स्वीकृति एवं पर्यटन विभाग द्वारा वहन की जाने वाली धनराशि रू0 546.78 लाख (रूपये पांच करोड़ छियालीस लाख अठहत्तर हजार मात्र) को अवमुक्त करने की स्वीकृति इस शर्त के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं कि निदेशालय स्तर पर योजनाओं/परियोजनाओं के सुसंगत शासनादेशों/अभिलेखों का मिलान कर नियमानुसार अग्रतर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी:-

क-जिला योजना

क्रमांक	कार्य का नाम	अवशेष कार्यो की मूल्यवृद्धि सहित लागत (रू0 लाख में)
1	जिला योजना के अन्तर्गत (2013-14) के अन्तर्गत जनपद गाजीपुर में पकसड़ा ब्रम्ह बाबा स्थल का पर्यटन विकास।	8.75
2	जिला योजना के (2015-16) अन्तर्गत जनपद गाजीपुर के तहसील जमानियां के ग्राम कुसी मिर्चा में स्थित शिव मंदिर स्थल का पर्यटन विकास कार्य।	3.81
3	जिला योजना (2015-16) अन्तर्गत जनपद गाजीपुर के ग्राम दरोली में स्थित	1.74

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

	हनुमान स्थल का पर्यटन विकास कार्य।	
4	जिला योजना के अन्तर्गत (2013-14) अन्तर्गत जनपद गाजीपुर में ब्रम्ह बाबा एवं जवाहिरी माई सेवराई स्थल का पर्यटन विकास कार्य।	5.59
5	जिला योजना (2013-14) अन्तर्गत जनपद गाजीपुर में जमानियां नहर के पास मजार लहुरीवीर बाबा स्थल का पर्यटन विकास कार्य।	0.62
6	जिला योजना (2012-13) के अन्तर्गत जनपद गाजीपुर के गहमर ब्लॉक भदौरा में स्थित हनुमान चौराहा का पर्यटन विकास कार्य।	14.17
7	जिला योजना (2012-13) के अन्तर्गत जनपद गाजीपुर के राजा सुहेलदेव स्थल का पर्यटन विकास।	14.45
8	जिला योजना (2013-14) अन्तर्गत जनपद गाजीपुर में ग्राम लक्ष्मण जानकी मंदिर जमानियां के पर्यटन विकास पर्यटन विकास कार्य।	5.58
9	जिला योजना (2013-14) के अन्तर्गत जनपद गाजीपुर में रेवतीपुर ब्लॉक गोहराई माई मंदिर स्थल का पर्यटन विकास कार्य।	16.94
10	जिला योजना (2013-14) के अन्तर्गत जनपद गाजीपुर में शिव मंदिर बरूईन पोखरा जमानियां स्थल का पर्यटन विकास।	4.92
11	जिला योजना (2013-14) के अन्तर्गत जनपद गाजीपुर में टोगा ब्रम्ह बाबा स्थल का पर्यटन विकास कार्य।	6.24
12	जिला योजना (2013-14) के अन्तर्गत जनपद गाजीपुर में सुहेलदेव सोनहरिया स्थल का पर्यटन विकास कार्य।	7.11
13	जिला योजना (2013-14) के अन्तर्गत जनपद गाजीपुर में रमाई बाबा स्थल ग्राम सहवाजपुर सिंहनी ब्लॉक कासीमाबाद का पर्यटन विकास कार्य।	9.88
14	जिला योजना (2014-15) के अन्तर्गत जनपद गाजीपुर ग्राम भक्सी ब्लॉक जमानिया में हनुमान स्थल का पर्यटन विकास कार्य	7.60
15	जिला योजना (2014-15) के अन्तर्गत जनपद गाजीपुर में लेहना मठ का पर्यटन विकास कार्य	12.01
16	जिला योजना (2014-15) के अन्तर्गत जनपद गाजीपुर के ग्राम पिपरौल ब्लॉक भदौरा स्थित ब्रम्ह स्थल का पर्यटन विकास कार्य	3.79
17	जिला योजना (2014-15) के अन्तर्गत जनपद गाजीपुर में हनुमान चबुतरा स्थल गहमर का पर्यटन विकास कार्य	0.75
18	जिला योजना (2014-15) के अन्तर्गत जनपद गाजीपुर में सुहेलदेव स्थल का पर्यटन विकास कार्य	12.69
19	जिला योजना (2014-15) के अन्तर्गत जनपद गाजीपुर में लेहना स्थित मिर्या साहब बाबा का पर्यटन विकास एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य	5.46
20	जिला योजना (2014-15) के अन्तर्गत जनपद गाजीपुर में पकसड़ा स्थित काली माई स्थल (हरिजन बस्ती) का पर्यटन विकास कार्य	5.46
21	जिला योजना (2014) के अन्तर्गत जनपद गाजीपुर में ग्राम कुर्सी मिर्चा में स्थित शिव मंदिर स्थल का पर्यटन विकास कार्य	2.53
22	जिला योजना (2015-16) के अन्तर्गत जनपद गाजीपुर के सोनहरिया ब्लॉक जमानियां में स्थित सुहेलदेव स्थल का पर्यटन विकास कार्य	12.51
23	जिला योजना (2015-16) के अन्तर्गत जनपद गाजीपुर में ब्लॉक जमानियां के ग्राम बक्सी में स्थित हनुमान स्थल का पर्यटन विकास कार्य	15.49

<u>ख-राज्य योजना</u>

क्र0सं0	**कार्य का नाम**	**अवशेष कार्यों की मूल्यवृद्धि सहित लागत (रू0 लाख में)**	**पर्यटन विभाग द्वारा वहन की जाने वाली धनराशि (रू0 लाख में)**
1	राज्य योजना (2013-14) अन्तर्गत पर्यटन एवं	171.96	171.96

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

	शिल्प कला केन्द्र की स्थापना के अन्तर्गत अर्बन हॉट, वाराणसी का उच्चीकरण के कार्य।		
2	राज्य योजना (2014-15) अन्तर्गत जनपद गाजीपुर के ग्राम सेवराई में स्थित ब्रम्ह स्थल का सौन्दर्यीकरण एवं पर्यटन विकास कार्य।	58.93	19.50
3	राज्य योजना (2014-15) अन्तर्गत जनपद गाजीपुर के ग्राम सेवराई में स्थित परिमनशाह तालाब के विकास एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य।	81.43	69.14
4	राज्य योजना (2015-16) अन्तर्गत जनपद गाजीपुर में ब्रम्हवीर बाबा स्थल रामपुर कनवां सेवराई का पर्यटन विकास कार्य।	286.18	286.18
	योग		**546.78**

4. प्रश्नगत योजनाओं/परियोजनाओं के सम्बन्ध में निम्नलिखित शर्तो /प्रतिबंधों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा:-

(1) प्रश्नगत परियोजनाओं/योजनाओं के सम्बन्ध में पर्यटन अनुभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा पूर्व में निर्गत सुसंगत शासनादेशों तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों में अंकित शर्तों व प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(2) निदेशालय स्तर पर योजनाओं/परियोजनाओं के सुसंगत शासनादेशों/अभिलेखों का मिलान कर सूचना शासन को एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध करायी जायेगी।

(3) प्रश्नगत कार्यों की निविदा में ई-टेन्डरिंग की प्रकिया लागू की जायेगी। ई-टेन्डरिंग प्रकिया में आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-3/2017/1067/78-2-2017-42 आईटी/2017 दिनांक 12.05.2017 में निहित शर्तो एवं प्राविधानों का अनुपालन पूर्णतया सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय वित्त (आय-व्ययक),अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक-17.03.2023 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-10/2023/बी-1-602/दस-2023-231/2023 दिनांक 19.09.2023 में निहित शर्तों एवं प्रावधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा।

(5) परियोजनाओं/योजनाओं के निर्माण कार्य में वस्तु एवं सेवाकर (जी0एस0टी0) की धनराशि कार्यदायी संस्था को वास्तविक भुगतान के अनुसार नियमानुसार अनुमन्य होगी तथा इस सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था द्वारा सक्षम स्तर से अनुमोदित जी0एस0टी0 भुगतान के सम्बन्ध में प्रामाणिक प्रपत्र महानिदेशक पर्यटन के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त लेबर सेस के रूप में प्रदान की गयी धनराशि श्रम विभाग को भुगतान किये जाने का प्रमाण पत्र कार्यदायी संस्था से प्राप्त कर शासन को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ उपलब्ध कराया जायेगा।

(6) यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर कार्यदायी संस्था द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों का पर्यवेक्षण (मानीटरिंग) महानिदेशक, पर्यटन द्वारा सुनिश्चित कराया जाय।

(7) प्रश्नगत परियोजना में होने वाले निर्माण कार्य के सम्बन्ध में यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि निर्माण कार्य आगणन के अनुरूप उसके तकनीकी अनुमोदन के अनुसार किया गया है तथा परियोजना को कार्यदायी संस्था से हस्तगत कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करा लिया जायेगा एवं निर्मित परिसम्पत्ति का समुचित रख-रखाव सुनिश्चित किया जायेगा एवं इसकी अद्यतन प्रगति रिपोर्ट ई-परियोजनाओं की समीक्षा के पोर्टल पर अंकित कराते हुए शासन को अवगत कराया जायेगा।

(8) परियोजना में टाइम ओवर-रन/कास्ट ओवर-रन को नियन्त्रित करने के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-07/2017/बी-1-823/दस-2017-एम-04/2017 दिनांक 21 जून,

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

2017 में दिये गये निर्देशों तथा बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 (VII) में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(9) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत योजनाओं/परियोजनाओं के अन्तर्गत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस योजना की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो और इसके रख-रखाव हेतु राज्य सरकार के ऊपर व्यय-भार न पड़े। कार्यदायी संस्था से कार्य की समाप्ति के पश्चात सम्प्रेक्षित लेखे अनिवार्य रूप से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(10) प्रायोजना की संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति कार्यदायी संस्था एवं पर्यटन निदेशालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना/विवरण के आधार पर प्रदान की जा रही है। यदि परियोजना के मानक के सम्बन्ध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका पूर्ण उत्तदायित्व कार्यदायी संस्था एवं पर्यटन निदेशालय एवं क्षेत्रीय अधिकारियों का होगा।

(11) महानिदेशक पर्यटन द्वारा कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कार्यदायी संस्था से सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त किये जायेंगे।

4 इस संबंध में होने वाला व्यय रूपये 5,46,78,000 (रूपये पांच करोड़ छियालीस लाख अठहत्तर हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 044 लेखा शीर्षक 5452801040800 मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों का विकास मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक- 17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. जिलाधिकारी, गाजीपुर/वाराणसी।
5. मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ।
6. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
7. अति0 महाप्रबंधक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, वाराणसी अंचल।
8. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
9. उप निदेशक (रा0यो0/जि0यो0), पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
10. उप निदेशक, पर्यटन, वाराणसी एवं विंध्याचल मण्डल, वाराणसी।
11. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
12. लोक निर्माण अनुभाग-8
13. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।